प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[13/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 87]

ाननीय डॉ. सीतासरन शर्मा के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 87 (आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को लिखे पत्र पर कार्यवाही।) का परिशिष्ट "अ" पेज संख्या- 01

कमांक	**ईमेल पर पत्र प्राप्ति दिनांक**	**विषय**
1	दिनांक 03 जनवरी 2025	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी को 160 बिस्तर से बढाकर 300 बिस्तरीय स्वीकृति करने के संबंध में
2	दिनांक 03 जनवरी 2025	नर्मदापुरम के ग्राम निमसाडिया में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में
3	दिनांक 04 फरवरी 2025	स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण संबंधी
4	दिनांक 05 फरवरी 2025	श्री रविशंकर दुबे, सहायक ग्रेड–3 के संबंध में

उप संचालक (समन्वय)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

माननीय डॉ. सीतासरन शर्मा के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 87 (आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को लिखे पत्र पर कार्यवाही।) का परिशिष्ट "ब" पेज संख्या- 01

कमांक	विषय	प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी	समय सीमा
1	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी को 160 बिस्तर से बढ़ाकर 300 बिस्तरीय स्वीकृति करने के संबंध में	स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना / उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड आक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में जिला नर्मदापुरम अंतर्गत 300 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत होकर संचालित है, जिसकी दूरी सिविल अस्पताल इटारसी से मात्र 20 किमी. है तथा 160 बिस्तर सिविल अस्पताल इटारसी की विगत 3 वर्षों का बैड ऑक्यूपेंसी रेट 80 प्रतिशत से कम होने के कारण वर्तमान स्थिति में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी जिला नर्मदापुरम् को 200 विस्तर से 300 बिस्तरीय चिकित्सालय की श्रेणी में सम्मिलित कर उन्नयन करने की पात्रता नही आती है।	निरंक
2	नर्मदापुरम के ग्राम निमसाडिया में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में	नर्मदापुरम जिले के विकास खण्ड नर्मदापुरम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमसाड़िया स्वीकृत है, किन्तु उप स्वास्थ्य केन्द्र पांजराकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य संस्थाओं के स्थानांतरण किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।	निरंक
3	स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण संबंधी	नर्मदापुरम जिले के विकास खण्ड नर्मदापुरम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमसाड़िया स्वीकृत है, किन्तु उप स्वास्थ्य केन्द्र पांजराकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य संस्थाओं के स्थानांतरण किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना / उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड आक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में जिला नर्मदापुरम अंतर्गत 300 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत होकर संचालित है, जिसकी दूरी सिविल अस्पताल इटारसी से मात्र 20 किमी. है तथा 160 बिस्तर सिविल अस्पताल इटारसी की विगत 3 वर्षों का बैड ऑक्यूपेंसी रेट 80 प्रतिशत से कम होने के कारण वर्तमान स्थिति में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी जिला नर्मदापुरम् को 200 विस्तर से 300 बिस्तरीय चिकित्सालय की श्रेणी में सम्मिलित कर उन्नयन करने की पात्रता नही आती है। संबंधित संस्था में नेत्र रोग के उपचार संबधी उपकरण की प्रदाएगी की गई है।	निरंक
4	श्री रविशंकर दुबे, सहायक ग्रेड–3 के संबंध में	श्री रवि शंकर दूबे द्वारा अभ्यावेदन अमान्य किये जाने के विरुद्ध संबंधित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/डब्ल्यूपी/27743/2024 दर्ज की गई। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रकरण के निराकरण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उप संचालक (समन्वय)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश